

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 119/2015

संस्थित दिनांक-14/11/2014

फाईलिंग नंबर-230301055552011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1 भूरा उर्फ रवि मिर्घा पुत्र तांती मिर्घा आयु 26 वर्ष  
निवासी ग्राम पिपरौली थाना गोहद जिला भिण्ड
2. लाखनसिंह गुर्जर पिता अमरसिंह गुर्जर आयु 40 वर्ष  
निवासी ग्राम जुमलेदार का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड
3. कल्ली पुत्र इंद्रभानसिंह आयु 28 वर्ष  
गुरीखा थाना मालनपुर जिला भिण्ड .....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।

आरोपी कल्ली एवं लाखन द्वारा श्री एम0एल0 मुद्गल अधिवक्ता।

आरोपी भूरा उर्फ रवि मिर्घा द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधि0।

### **—::— निर्णय —::—**

(आज दिनांक 11 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपीगण के विरुद्ध धारा-394/397 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम'. पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 एवं आरोपी भूरा उर्फ रवि के विरुद्ध धारा-25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08/07/14 को रात्रि करीब 10 बजे कैडवरी फैंक्ट्री के पास नहर पुलिया भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग पर थाना मालनपुर के क्षेत्रांतर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र में आपस में मिलकर फरियादी चंदू राणा उर्फ संदू राणा की लूट सहित मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उसे अग्रसर करते हुए उसकी मारपीट की तथा उसके कब्जे से जॉन्डियर कम्पनी का ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 07 ए.ए. 4571 की लूट कारित की एवं आरोपी भूरा उर्फ रवि अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का कटटा व एक जिंदा कारतूस रखे पाये गये।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 08.07.14 को घटना वाला स्थान राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र के रूप में एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र

अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 08.07.14 को रात्रि करीब दस बजे जब फरियादी संदू राणा निवासी ग्राम जास्ती थाना मडती जिला वाडमेर राजस्थान कैडवरी फैक्ट्री के पास नहर पर काम कर के ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 07 ए.ए. 4571 को साथ लेकर पुलिया पर आया तो वहाँ पहले से तीन अज्ञात बदमाश छिपे हुए थे जो अचानक उसके ट्रैक्टर के सामने आ गए, जिनमें से एक बदमाश सरिया लेकर उसके दाहिने हाथ में ट्रैक्टर चलाते समय मारा। ट्रैक्टर उसने मौके पर रोक दिया तथा एक बदमाश ने उसे नीचे खींच लिया और एक बदमाश ट्रैक्टर भिण्ड रोड पर चलाकर भाग गया तथा दो बदमाशों ने उसे पकड़कर बैठाए रखा। कुछ देर बाद वह बदमाश भी उसे छोड़कर भाग गए। सरिया मारने से उसे चोट आई। ट्रैक्टर जॉन्डियर कम्पनी का था जिसके आगे पीछे सूपा और पलाव लगा था जो करीब चार लाख रूपए का था। बदमाशों के भागने के बाद वह अपने साथी के साथ ट्रैक्टर को रात में ढूँढता रहा, पुलिस को भी फोन लगाया और पता न चलने पर दूसरे दिन थाना मालनपुर जाकर घटना की मौखिक रिपोर्ट की जिस पर से तीन अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 155/14 धारा 394 भा0द0वि0 एवं धारा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के एक्ट के अंतर्गत प्र. पी. 9 की एफआईआर दर्ज की गई और घटना को अनुसंधान में लिया गया। दौरान अनुसंधान घटनास्थल का प्र.पी. 10 का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना के दौरान आरोपीगण के पकड़े जाने पर उनसे बरामदगी के आधार पर तथा आरोपी भूरा उर्फ रवि मिर्धा पर बगैर वैध सत्र अनुज्ञप्ति के देशी कट्टा कारतूस मिलने से उसकी जाँच कराई जाकर अभियोजन चलाए जाने की जिला दण्डाधिकारी प्र.पी. 6 की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र एवं पूरक अभियोगपत्र पेश किया गया।
4. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 394/397 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट आरोप लगाए गए। इसके अतिरिक्त आरोपी भूरा उर्फ रवि मिर्धा पर धारा 25(1-बी)(ए) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार कर विचारण में धारा 313 द.प्र.सं. के तहत हुए परीक्षण में स्वयं को निर्दोष बताया है और प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
5. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोपी के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-
  - 1- क्या आरोपीगण ने 08/07/14 को रात्रि करीब 10 बजे कैडवरी फैक्ट्री के पास नहर की पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में आपस में उपहति सहित लूट की घटना को कारित करने का आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया ?
  2. क्या आरोपीगण ने उक्त निर्मित सामान्य आशय अग्रसर करते हुए

फरियादी चंदू राणा उर्फ संदू राणा की स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए उसके आधिपत्य से जॉन्डियर ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 07 ए.ए. 4571 की लूट कारित की ?

3. क्या उक्त सुसंगत घटना में आरोपी भूरा उर्फ रवि मिर्धा अपने आधिपत्य व संज्ञान में 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के बगैर वैध सत्र अनुज्ञप्ति के रखा हुआ पाया गया और उसका उपयोग घटना में किया ?

—::—निष्कर्ष के आधार —::—

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत-02 का निराकरण

6. उक्त दोनों विचारणीय बिंदु उपहति स्थिति, लूट की घटना से संबंधित होकर एक दूसरे के पूरक होने से उनका एक साथ विश्लेषण व निराकरण किया जा रहा है।
7. इस संबंध में साक्षियों में से डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09/07/14 को सी०एच०सी० गोहद में मेडीकल ऑफीसर रहते हुए आहत संधू राणा की चोटों का परीक्षण करना और उसकी प्र०पी०-8 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना बताया है और यह भी कहा है कि उक्त आहत को दायाँ अग्र भुजा में 5 X 0.8 से०मी० का नीलामी निशान तथा दायाँ भुजा पर 7 X 0.8 से०मी० का नीलम निशान पाया था। दोनों चोटें सख्त भौतंरी वस्तु की होकर साधारण प्रकृति की थी, जो गिरने, सख्त धारतल पर या पत्थर पर गिरने से या सीढियों पर गिरने से आना संभव बताया है। उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य में चोट परीक्षण से 6 से 24 घंटे के भीतर की बतायी गयी है। प्र०पी०-9 की एफ०आई०आर० मुताबिक घटना दिनांक 08/07/14 को रात करीब 10 बजे की बतायी गयी है, प्र०पी०-8 मुताबिक मेडीकल परीक्षण दिनांक 9/07/14 को शाम 5 बजे हुआ है, ऐसी स्थिति में आहत के हाथ की चोट को कथानक में सरिया द्वारा कारित होना बतायी गयी है वह घटना के बताये गये समय की होना संभव है और साधारण प्रकृति की है। आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा पहुंचाई गयी या नहीं यह अन्य प्रत्यक्ष एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा।
8. प्र०पी०-9 की एफ०आई०आर० मुताबिक तीन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घटना बतायी गयी है, जिनकी कद, काठी, हुलिया, उम्र आदि का उल्लेख एफ०आई०आर० में नहीं है रिपोर्टकर्ता और घटना का आहत चंदू उर्फ संधू राणा को अभियोजन द्वारा अ०सा०-8 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि जुलाई 2014 में घटना रात करीब 9 बजे की होकर मालनपुर की है, जब वह नहर पर काम करके अपने जोनडियर ट्रैक्टर क्रमांक एम०पी०-07 एए-4571 में आगे सूपा एवं पीछे पिलाऊ लगा था,

जिसे लेकर वह अपने मालनपुर स्थित कमरे पर जा रहा था, तब कैडवरी फैक्ट्री की पुलिया के पास तीन बदमाश आये थे जिसमें से एक ने उसे सरिया मारा था जो दाये हाथ में लगा था, जिससे उसने ट्रेक्टर रोक दिया था, दो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया था, एक बदमाश उसका ट्रेक्टर लेकर चला गया था, वह रात में बालिस्टर सिरकवार के साथ रातभर ट्रेक्टर की खोजबीन करता रहा, फिर उसने थाना मालनपुर में जाकर प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 लिखायी थी। पुलिस ने मौके पर आकर प्र0पी0-10 का नक्शामौका भी बनाया था और घटना के बारे में पूछ-ताछ कर बयान लिया था। तीनों बदमाश घटना के समय मुंह बांधे हुए थे और रात का समय था इसलिए वह उन्हें नहीं पहचान पाया। उसने पुलिस को बदमाशों का हुलिया रिपोर्ट प्र0पी0-9 में और बयान प्र0पी0-11 में नहीं बताया था और न ही सामने आने पर पहचान लेने की बात बतायी थी। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपीगण को वह जानता था, जो उसके पूर्व परिचित होकर मालनपुर क्षेत्र में रहते थे, इस बात से भी इन्कार किया है कि वह आरोपीगण के भय या दबाव में है या उसका कोई राजीनामा हो गया है। ट्रेक्टर के संबंध में उसका पैरा-3 में यह कहना रहा है कि उसका ट्रेक्टर सुबह करीब 5 बजे जिंमलेदार की पुरा के पास रोड पर खड़ा मिला था, जिसके बारे में उसने पुलिस को फोन किया था, तो पुलिस वहां से ट्रेक्टर उठा लायी थी।

9. प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 निरीक्षक शेरसिंह (अ0सा0-9) ने लेखबद्ध करना और फरियादी संधूराणा की निशांदेही पर प्र0पी0-10 का घटनास्थल का नक्शामौका तैयार करना और उसके कथन लेखबद्ध करना कहा, जबकि संधूराणा ने कथन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है। नक्शामौका मुताबिक घटनास्थल भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर ग्वालियर की ओर से आने पर बायें हाथ की तरफ नहर की सड़क पर जो रास्त नौगांव की ओर जाता है। वहां दर्शाया गया है और वहीं पर बिजलीघर के आस-पास मकान नहीं बने हैं, नक्शामौका में घटनास्थल के आस-पास कोई उजाले का प्रबंध हो ऐसा भी दर्शित नहीं है। ऐसे में रात के समय ट्रेक्टर की लाइट में घटना करने वालों को देख लेना संभव नहीं है, क्योंकि हेडलाइट आगे होती है और ट्रेक्टर के चालक के द्वारा पीछे से या बगल से किसी के आने पर अंधेरे में आने वाले व्यक्ति का चेहरा या शरीर देख पाना संभव नहीं होता है। अभियुक्तों की शिनाख्ती की कोई कार्यवाही प्रकरण में करायी जाना विवेचक ने नहीं बताया है।
10. इस प्रकार से घटना के फरियादी चंदू राणा उर्फ संधूराणा (अ0सा0-8) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना कैडवरी फैक्ट्री के पास पुलिया की होना तीन बदमाशों द्वारा कारित की जाना, उसमें से एक बदमाश द्वारा सरिया मारना दो बदमाशों द्वारा उसे पकड़ लेना और तीसरे बदमाश द्वारा ट्रेक्टर को भगा ले जाना बताया है,



किंतु घटना करने वाले कौन लोग थे, इसके बारे में उसने कोई बात नहीं बतायी है न ही आरोपीगण की पहचान के बारे में बताया है। प्र०पी०-9 की एफ०आई०आर० में घटना घटना कारित करने वालों की पहचान के संबंध में कोई तथ्य नहीं है। प्र०पी०-11 के पुलिस कथन के ए से ए भाग में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ट्रेक्टर की लाइट में उसने घटना करने वालों को देखा था, जिन्हें वह सामने आने पर पहचान सकता है और घटना करने वालों में एक नीले चौखाने की शर्ट पहने था और नीली जींस पहने था, दो सफेद शर्ट और नीला पेंट पहने थे जो मध्यम बदन के थे, इस बात से फरियादी चंदू उर्फ संधू राणा ने इंकार कर दिया है और आरोपीगण की पहचान के बिन्दु पर वह अभियोजन का कोई समर्थन नहीं करता है और पक्ष विरोधी है, उसके अभिसाक्ष्य से केवल इतना ही प्रमाणित होता है कि जुलाई 2014 को रात्रि के समय कैडवरी फैक्ट्री की पुलिस के पास उसके साथ तीन लोगों के द्वारा उपहित पहुंचाते हुए उसके आधिपत्य का जोनडियर ट्रेक्टर क्रमांक एम०पी०-07 ए ए-4571 की लूट की, जो डकैती प्रभावित क्षेत्र है, जिसकी पुष्टि प्र०पी०-10 के नक्शा मौका से भी होती है, किंतु वह घटना विचारण आरोपीगण द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गयी, ऐसा उसके अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होता है।

11. अभियोजन के कथानक और स्वयं फरियादी के अभिसाक्ष्य में घटना के पश्चात बालिस्टर सिकरवार को साथ लेकर रात भर ट्रेक्टर की तलाश करना बताया गया है, जैसा कि अ०सा०-8 की अभिसाक्ष्य में भी आया है। बालिस्टर सिंह अ०सा०-1 के रूप में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, जिसने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को पहचानने से इंकार किया है और घटना के विषय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होने से इंकार किया है तथा यह बताया है कि वह ग्राम भौनपुरा का निवासी है और मालनपुर स्थित कैडवरी फैक्ट्री में काम करता है तथा उसके साथ चंदूराणा उर्फ संधूराणा भी रहता था। दिनांक 08/07/14 को चंदूराणा ट्रेक्टर नहर पर काम करने के लिए ले गया था और उसने जमीन को समतल करने का काम जोनडियर ट्रेक्टर से किया था। रात करीब 11 बजे चंदूराणा ने उसे फोन पर यह बताया था कि तीन लोग ट्रेक्टर लूट कर ले गये हैं, उस पर उसने लूट की सूचना थाना मालनपुर को मोबाइल से दी थी, किंतु इस बात से इंकार किया है कि रात में वह चंदूराणा के साथ ट्रेक्टर की तलाश में गया था और ट्रेक्टर सुबह 5 बजे तक नहीं मिला, बल्कि उसका कहना है कि ट्रेक्टर रात को टुडिले के पास रोड पर रखा मिल गया था। उसने इस बात से भी इंकार किया है कि ट्रेक्टर आरोपी लाखन गुर्जर से दिनांक 19/07/14 को जब्त किया गया था, उसने इस बात से भी इंकार किया है कि उसे रविन्द्र सीसोदिया ने यह बताया कि ट्रेक्टर को ग्राम गुरीखा के कल्ली गुर्जर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर लूटा था, बल्कि उसका कहना है कि घटना की रात को ट्रेक्टर पुलिस को मिल गया था और

पुलिस थाने पर ले आयी थी।

12. उक्त साक्षी ने भी प्र0पी0-12 के पुलिस कथन के ए से ए भाग “दिनांक 19/07/14-----लूटा गया था” पुलिस को लिखाने से इंकार किया है। अ0सा0-8 की तरह उसने भी आरोपीगण के दबाव, प्रभाव, प्रलोभन में आने या समझौते के कारण असत्य कथन करने से इंकार किया है। इसी प्रकार की अभिसाक्ष्य रविन्द्रसिंह (अ0सा0-2) की भी है, जिसने अपना पुलिस को प्र0पी0-13 का ए से ए भाग कथन लिखाने से इंकार किया है। इस तरह से आरोपीगण के विरुद्ध न तो फरियादी चंदूराणा उर्फ संधूराण की साक्ष्य आयी है न ही घटना के बाद तलाश करने और आवश्यक जानकारी देने वाले साक्षी बालिस्टरसिंह और रविन्द्रसिंह के द्वारा कोई समर्थन किया गया है। इन तीनों के अभिसाक्ष्य से केवल डकैती प्रभावित क्षेत्र में लूट की घटना फरियादी को उपहति पहुंचाने के साथ होना मात्र प्रमाणित है कि आरोपीगण द्वारा की गयी ऐसा कतयी प्रमाणित नहीं है।
13. प्रकरण में आरोपीगण को पुलिस कथनों पहचान संबंधी आये बिन्दुओं के अलावा गिरफ्तारी उपरांत मेमोरेण्डम कथन और जब्ती के आधार पर से अभियोजित किया गया है, इसलिए उससे संबंधित दस्तावेज और साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर यह देखना होगा कि क्या अभियोजन की बताई घटना युक्तियुक्त संदेह के परे उनके साक्ष्य से प्रमाणित होती है या नहीं, क्योंकि आरोपीगण द्वारा झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है।
14. विनोद शर्मा (अ0सा0-10) ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी लाखन गुर्जर को (कथन दिनांक 08/07/16) करीब डेढ़ दो साल पहले क्रॉम्टन फैक्ट्री के पास से पकड़ने और हाथ में सरिया होना तथा टी0आई0 शेरसिंह द्वारा उससे सरिया, सिपाही जगवीर के सामने जब्त करना बताया है, लाखन से पूछ ताछ करना भी बतायी है जिसमें उसने किसी ड्रायवर की मारपीट करने की बात कही थी, जो उसने सुनी थी। क्रॉम्टन फैक्ट्री के सामने टी0आई0 शेरसिंह द्वारा प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-3 की लिखापढी करना वह बताता है, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं है कि वहां पर कोई ट्रैक्टर देखा गया था, इस बात से भी वह इंकार करता है कि टी0आई0 शेरसिंह द्वारा आरोपी लाखन से पूछ ताछ करने पर उसने केडवरी फेक्ट्री के पास नहर की पटरी से ड्रायवर को सरिया मार कर ट्रैक्टर लूट लेना बताया था। इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने जोनडियर ट्रैक्टर मोडल नंबर 5204 पंजीयन क्रमांक एम0पी0-07 एए 4571 हरे रंग का जब्त किया गया था। आरोपी लाखन को घटना के पहले से जानना वह कहता है। प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-3 की कार्यवाही का दूसरा साक्षी आरक्षक जगजीतसिंह (अ0सा0-3) है जिसने प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-3 की कार्यवाही आरोपी लाखनसिंह के संबंध में दिनांक 19/07/14 को टी0आई0 शेरसिंह द्वारा की जाना लाखन को गिरफ्तार करना उसका प्र0पी0-2 का मेमोरेण्डम

कथन लेना और उसके आधार पर प्र०पी०-3 का जब्तीपत्र मुताबिक उक्त ट्रेक्टर जब्त करना बताया है, जैसा कि टी०आई० शेरसिंह (अ०सा०-9) ने अपने अभिसाक्ष्य में के पैरा-3 में बताया है।

15. विनोद शर्मा (अ०सा-10) ने की जिस प्रकार की साक्ष्य आयी है उसमें वह लूट संबंधी घटना का समर्थन नहीं करता है केवल लाखन से सरिया मिलना, किसी ड्राइवर की मारपीट करने की बात मात्र बताता है, अर्थात् वह महत्वपूर्ण बिन्दु पर पक्ष विरोधी होकर घटना का समर्थन नहीं करता है और उसके अभिसाक्ष्य के आधार पर लाखन से सरिया की जब्ती प्रमाणित भी मानी जाये तो उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि, जो सरिया लाखन से मिला उसी सरिये से उसके द्वारा दिनांक 08/07/14 को रात 10 बजे चंदू उर्फ संधूराणा के साथ हुई घटना में चंदू को मारा गया था, इसलिए अ०सा०-10 की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और उससे अभियोजन के कथानक को कोई बल नहीं प्राप्त नहीं होता है।
16. आरक्षक जगजीत सिंह (अ०सा०-3) के मुताबिक आरोपी लाखन को दिनांक 19/07/14 को शाम 5:50 बजे गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ रिठौरा रोड पर कॉम्प्टन फैक्ट्री के पास करके शाम 6:40 बजे मेमोरेण्डम कथन लिया गया था, जिसमें उसने कल्ली के संबंध में जानकारी दी थी उसका यह कहना है कि ट्रेक्टर का पूरा नंबर बताया था या नहीं यह उसे याद नहीं है, लेकिन जोनडियर कंपनी का हरे रंग का बताया था। उसका यह भी कहना है कि मेमोरेण्डम कथन के समय ट्रेक्टर समक्ष में मौजूद था इसलिए वह उसका आंशिक क्रमांक और नाम बता रहा है, जो लाखन से बरामद हुआ था। इस बात से उसने इंकार किया है कि ट्रेक्टर रात में ही मालनपुर पुलिस को खड़ा मिल गया था और रात में ही पुलिस उसे उठाकर थाने में ले आयी थी।
17. घटना की विवेचना करने वाले निरीक्षक शेरसिंह (अ०सा०-9) के द्वारा आरोपी लाखन का मेमोरेण्डम कथन लेते समय वहीं ट्रेक्टर साथ में होने से वहीं जब्त करना बताया है। इस बात से इंकार किया है कि जुमेलदार के पुरा के पास ट्रेक्टर खड़ा मिला।
18. प्रकरण में आरोपी लाखनसिंह का धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लेखबद्ध मेमोरेण्डम कथन में से लूटने वाली बात विधिक रूप से साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होती है और प्र०पी०-2 की लिखापट्टी के समय आरोपी लाखन के पास सरिया व ट्रेक्टर दोनों की मौजूदगी बतायी है। ऐसे में धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन की प्रकरण में कोई वैधानिकता नहीं रह जाती है।
19. धारा-27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी

अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

20. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:-

1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
  2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
  3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
  4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

21. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2009 भाग-1 एम0पी0एच0टी0 पेज-478 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। उक्त न्याय दृष्टांत विचाराधीन मामले में इस कारण प्रायोज्य किये जाने योग्य है क्योंकि अभिलेख पर आरोपीगण के विरुद्ध अन्य कोई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों नहीं आई हैं जो उसे घटना में संलिप्त मानने के लिये पर्याप्त हों। ऐसे में एक सह अभियुक्त के द्वारा धारा-27 के ज्ञापन में उसका नाम बता दिये जाने के आधार पर उसे घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है और धारा-133 साक्ष्य अधिनियम का उपबंध भी लागू नहीं होता है। जैसा कि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है क्योंकि धारा-133 साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होने का उपबंध किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि **सह अपराधी-** सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिये अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

22. प्र0पी0-1 का आरोपी लाखन का गिरफ्तारी पत्रक है जिसके मुताबिक कौन्टन फेक्ट्री के सामने उसे पकड़ा गया था, गिरफ्तारी के समय वह हाथ में सरिया लिये हुए था, ऐसा प्र0पी0-1 में अंकित नहीं किया गया है। जबकि प्र0पी0-2 में सरिया उसके पास होने की बात आयी है। सरिया यदि आरोपी के पकड़े जाते समय उसके पास था



जैसा कि विनोद शर्मा (अ0सा0-10) का कहना रहा है तो सरिया जब्त होता, किंतु सरिया की जब्ती के संबंध में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-3 में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ट्रेक्टर के ड्राइवर में भूरा ने सरिया मारा था इस आशय का प्र0पी0-2 का कथन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है और भूरा से भी कोई सरिया बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में भी प्र0पी0-2 महत्वहीन हो जाता है।

23. जहां तक ट्रेक्टर की जब्ती का प्रश्न है प्र0पी0-3 मुताबिक आरोपी लाखन के कब्जे से कॉम्टन फैक्ट्री के सामने ट्रेक्टर जब्त करना बताया गया है, कॉम्टन फैक्ट्री के सामने पुलिस उक्त अपराध के अनुसंधान के दौरान गयी हो इस बारे में कोई रोजनामचा सन्हा रवानगी और वापिसी का पेश नहीं है। जब कि इसके विपरीत स्वयं फरियादी चंदूराणा उर्फ संधूराणा ट्रेक्टर रात में ही जुमलेदार के पुरा के पास सडक पर खड़ा होना पुलिस को मिल जाना और वहां से पुलिस के द्वारा उठाकर ले आना बताया गया है। रात में ही ट्रेक्टर मिल जाना बालिस्टर (अ0सा0-1) के द्वारा भी बताया गया है। इससे ट्रेक्टर जब्ती की कार्यवाही प्र0पी0-3 मुताबिक वास्तविक रूप से हुई हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है, बल्कि संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए प्र0पी0-3 के संबंध में जगजीतसिंह अ0सा0-3 और निरीक्षक शेरसिंह (अ0सा0-9) की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है न ही आरोपी लाखनसिंह गुर्जर के कब्जे से ट्रेक्टर की जब्ती होना प्रमाणित है। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-1 में यदि ट्रेक्टर और सरिया गिरफ्तारी के समय लाखन के पास होता तो गिरफ्तारी पत्रक के कॉलम नं0-8 में जो वस्तु के विवरण हेतु चिन्हित है, उसमें उल्लेख किया गया होता।

24. इस प्रकार से अभिलेख पर इस संबंध में कोई सुदृढ विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जो युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करती हो कि दिनांक 08/07/14 को रात 10 बजे जब फरियादी चंदूराण उर्फ संधूराणा का जोनडियर ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0-07 एए 4571 को लेकर नहर की पुलिया के काम से लौट रहा था तब पुलिया के पास उसके साथ उपहति कारित करते हुए जो लूट की घटना हुई उसे विचाराधीन विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। ऐसी दशा में तीनों आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोप धारा 394/397 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है बल्कि संदिग्ध है, इसलिए आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र है। फलतः दोनों विचारणीय बिन्दु प्रमाणित नहीं होने से उपरोक्त आरोप 394/397 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अपराध से आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3 का निराकरण एवं विश्लेषण**

25. उपरोक्त आरोप भूरा उर्फ रवि मिर्घा के संबंध में है जिसके बावत अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में घटना के फरियादी चंदूराणा उर्फ संधूराणा के द्वारा लिखायी गयी प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 में घटना कारित करने वालों में से किसी पर भी कोई आग्नेय शस्त्र होना नहीं लिखाया है, एक बदमाश पर लोहे का सरिया बताया था जिसका उपयोग घटना कारित करने में किया गया था, इसलिए घटना में किसी आग्नेय शस्त्र के उपयोग बावत महत्वपूर्ण साक्षी अ0सा0-1, आ0सा0-2, अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य नहीं आया है।
26. इस संबंध में घटना विवेचक शेरसिंह (अ0सा0-9) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 16/12/14 को आरोपी भूरा मिर्घा को प्र0पी0-4 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार करने और उसके कब्जे से 315 बोर का एक देशी कट्टा मय एक कारतूस के जब्त कर प्र0पी0-5 का जब्तीपत्र तैयार करना बताया है। उसने अपने पैरा-7 में यह स्वीकार किया है, कि जब्तशुदा कट्टे का लूट में उपयोग नहीं हुआ था। प्र0पी0-4 एवं प्र0पी0-5 के जो पंचसाक्षी हैं उनमें से स्वतंत्र साक्षी के रूप में बताये गये छोटे राजा (अ0सा0-11) ने प्र0पी0 4 एवं प्र0पी0-5 की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया और वह पक्ष विरोधी रहा है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि वह थाने पर अपने किसी कार्य से गया था तब पुलिस ने दो-तीन कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे, उनमें क्या लिख लिया यह उसे नहीं बताया।
27. उक्त साक्षी ने दिनांक 04/08/16 न्यायालय में साक्ष्य देते समय ही पहली बार आरोपी रवि उर्फ भूरा को देखना बताया है। इस तरह से प्र0पी0-4 एवं प्र0पी0-5 के संबंध में अ0सा0-11 का कोई समर्थन नहीं है दूसरा पंच साक्षी विवेचक का अधीनस्थ कर्मचारी आरक्षक इंद्रसिंह (अ0सा0-4) है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-1 में तो जब्ती, गिरफ्तारी का समर्थन किया है और आरोपी भूरा उर्फ रवि को हॉटलाइन फेक्ट्री के पीछे से पकड़ा जाना बताया है, जिसे लहचूरा की पुलिया के पास पकड़ा गया था, जहां पकड़ा था वहां कोई लिखा पढी नहीं हुई थी। हॉटलाइन फैक्ट्री के पीछे जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी और पुलिस द्वारा आरोपी भूरा को करीब 100 मीटर भागकर पकड़ा गया था, उस समय पुलिस वाहन चैकिंग में लगी थी। जबकि विवेचक ने प्र0पी0-4 व 5 की कार्यवाही के समय वाहन चैकिंग वाली बात नहीं बतायी थी, न ही प्र0पी0-4 व 5 की कार्यवाही के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी या वापसी का पेश किया गया है और जब लूट की घटना में आग्नेय शस्त्र होने का कथानक ही नहीं है तो यदि दिनांक 16/12/14 को आरोपी भूरा उर्फ रवि को पकड़े जाते समय कोई अवैध आग्नेय शस्त्र मिला था तो उसका अलग से अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाना चाहिए थी जो नहीं की गयी और रोजनामचा

सान्हा खानगी वापिसी के अभाव तथा मूल घटना प्रमाणित न होने को देखते हुए प्र०पी०-5 मुताबिक बताया गया जब्ती की कार्यवाही को उक्त साक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

28. अन्य परीक्षित साक्षियों में आरक्षक राजकिशोर सिंह (अ०सा०-6) ने अपने अभिसाक्ष्य में थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 155/14 में जब्त बताया गया 315 बोर के कट्टे व कारतूस की जांच करने पर कट्टे का एक्शन सही पाना और कट्टा चालू होकर फयार किये जाने योग्य होना तथा कारतूस जीवित होना बताया है तथा आर्म्स क्लर्क महेन्द्रसिंह भदौरिया (अ०सा०-5) ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त अपराध में पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के साथ केस डायरी व आग्नेय शस्त्र जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में दिनांक 30/03/15 को प्राप्त होने पर अवलोकन करने के पश्चात तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय द्वारा आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०-6 की दिया जाना बताया है, उक्त दोनों साक्षी की अभिसाक्ष्य में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आया है, जिससे प्र०पी०-6 एवं 7 के दस्तावेज अ०सा०-5 एवं अ०सा०-6 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित हो जाता हो, जिससे इस बात की पुष्टि तो होती है कि जो आग्नेय शस्त्र प्र०पी०-7 की जांच रिपोर्ट मुताबिक चैक किया गया उसमें 315 बोर का कट्टा चालू हालत और कारतूस जीवित पाया गया था, जो देशी कट्टा कारतूस थे, जिसके कारण ही प्र०पी०-6 की अभियोजन स्वीकृति अवैध शस्त्र लाइसेंस के अभाव में प्रदान की गयी थी, किंतु उक्त कट्टा कारतूस आरोपी भूरा उर्फ रवि से ही बरामद हुआ यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं है। इसलिए आरोपी रवि उर्फ भूरा पर विचरित अतिरिक्त आरोप धारा-25(1-बी)(ए) एवं धारा-27 आयुध अधिनियम संदिग्ध प्रमाणित होता है। फलतः उसे संदेह का लाभ देते हुए धारा-25(1-बी)(ए) एवं धारा-27 आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

29. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रैक्टर क्रमांक एम०पी०-07 एए 4571 पूर्व से पंजीकृत स्वामी के पास सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। प्रकरण में जब्त कट्टा एवं कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

30. आरोपी कल्ली और लाखनसिंह न्यायिक निरोध में है, इसलिए उनके जेल वारंट पर अन्य प्रकरण में आवश्यकता ना होने पर रिहा किये जाने की टीप लगायी जावे।

31. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी

जाये।

दिनांक: 11 अगस्त 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)